न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

झुताराम पुत्र डालूराम खटीक
सा. पांचोता तह. नांवा

1. रामदेवी पत्नी मुनाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
2. पुरणराम पुत्र मुनाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
3. प्रभातराम पुत्र मुनाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
4. सोनीदेवी पुत्री मुनाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
5. सुशीला पुत्री मुनाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
6. प्रहलादराम पुत्र परसाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
7. धर्माराम पुत्र परसाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
8. नेमाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
10. बोदूराम पुत्र परसाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
11. नाथीदेवी बेवा परसाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
12. मोहनीदेवी बेवा श्रवणराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
13. मदनलाल पुत्र श्रवणराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
14. नानूराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
15. प्रकाश पुत्र श्रवणराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
16. प्रेमाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
17. रतनलाल पुत्र उदाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
18. प्रभूराम उदाराम जाति मेघवंशी सा. भुणी
19. सोनीदेवी बेवा घीसाराम जाति मीणा सा. भुणी
20. मूलाराम पुत्र घीसाराम जाति मीणा सा. भुणी
21. कानारमा पुत्र घीसाराम जाति मीणा सा. भुणी
22. रामबक्ष पुत्र घीसाराम जाति मीणा सा. भुणी
23. ग्यारसी बेवा भागीरथ जाति मीणा सा. भुणी
24. छीतर पुत्र भागीरथ जाति मीणा सा. भुणी
25. पप्पु पुत्र भागीरथ जाति मीणा सा. भुणी
26. सुनिलकुमार पुत्र बिरदाराम जाति मीणा सा. भुणी
27. सुवटी बेवा भोमाराम जाति मीणा सा. भुणी
28. प्रभात पुत्र भोमाराम जाति मीणा सा. भुणी
29. धापुदेवी पत्नी सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
30. बाबुराम पुत्र सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
31. हीराराम पुत्र सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
32. गणेशराम पुत्र सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
33. शिशिपाल पुत्र सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
34. विनोद पुत्र सोलाराम जाति मीणा सा. भुणी
35. मेनादेवी पत्नी रामनिवास जाति खटीक सा. नांवा
36. उप पंजीयक नांवा
37. तहसीलदार नांवा

11/2/17

अधिकारी

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा
उपस्थित :— श्री राजेश गुर्जर वकील वादी

मुकदमां नम्बर :— 70/2016 निर्णय दिनांक :— 11.02.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम भूणी में खसरा नम्बर 754, 755, 756, 757, 842, 843, 844 कुल रकबा 12.86 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसके खातेदार मुनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवंशी ने अपने हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 757 रकबा 7.82 हैक्टयर में अपने हक हिस्से में से 0.12 हैक्टयर भूमि वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 506/2001 दिनांक 23.07. 2001 के द्वारा वास्ते रास्ते हेतु खरीद की गयी हैं जो मौक पर रास्ता कायम कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, प्रतिवादी 1 से 5 पिता स्व. मुनाराम के द्वारा भूमि बैचान कर कब्जा मुझ वादी को सुपुर्द दिया जिसका वादी खरीद के दिन से उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ हैं वादी ने प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि खरीद की हैं मौके पर कब्जा काश्त वादी का तथा वादी ही उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से आये दिन उक्त भूमि के खातेदारो एवं वादी में विवाद होता हैं जिससे वादी ने वाद पेश कर वाद के पैरा संख्या 2 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 757 रकबा 7.82 हैक्टयर भूमि में से 0.12 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करते हुऐ नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण व्यक्तिगत तामील नहीं करने एवं तामील से बार बार बचने पर वकील वादी ने प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाने के निवेदन पर स्वीकृति दी गई तत्पश्चात प्रतिवादीगण के सम्मन स्थानिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाऐ जाने के बाद एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वादी एवं गवाह लालाराम पुत्र नानूराम गुर्जर व रामनिवास पुत्र हनुमानराम गुर्जर के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 में ग्राम भूणी के खसरा नम्बर 754, 755, 756, 757, 842, 843, 844 कुल रकबा 12.86 हैक्टयर भूमि में के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी 1 से 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वाद के साथ प्रस्तुत बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं जिसमें खातेदार मुनाराम पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी भूणी ने ग्राम भूणी के खसरा नम्बर 757 रकबा 7.82 हैक्टयर भूमि में अपना 1/8 हिस्सा होना बताते हुऐ अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में से 0.12 हैक्टयर भूमि वादी को रासता हेतु बैचान किया जाना अंकित करते हुऐ बैचान दस्तावेज तकमील करते हुऐ दिनांक 23.07.2001 को उप पंजीयक नांवा के समक्ष पंजीकृत करवाया हैं उक्त बैचान का राजस्व

11/2/17

रिकार्ड में अमल नहीं हुआ हैं लेकिन वाद के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस जो पटवारी हल्का द्वारा पी.55/4627 दिनांक 02.05.2016 को जारी किया गया हैं में तरमीम हैं के अनुसार उक्त भूमि रास्ता उपयोग हेतु भूमि वादी ने खरीद की हैं जिसका तरमीम हो चुका हैं लेकिन बैचान दस्तावेज के अनुसार खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं हुई हैं। उक्त भूमि वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की हैं जिसकी खातेदारी दर्ज करवाने का वादी कानून अधिकारी हैं तथा अपनी खरीद सुदा भूमि की अलग होल्डिंग कायम करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार हैं। वादी के वाद बाबत प्रतिवादीगण ने कोई एतराज पेश नहीं किया हैं न ही कोई जवाब पेश किया हैं जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भूणी के खसरा नम्बर 757 रकबा 7.82 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 से 5 के हक हिस्से में से दर्ज भूमि में से 0.12 हैक्टयर भूमि कम करते हुऐ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, वादी के हक हिस्से घोषित 0.12 हैक्टयर भूमि का वादे में पेश नजरी नक्शा में तरमीम अनुसार अलग खसरा नम्बर कायम किऐ जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा